न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 758/2025 अनवान केसाराम बनाम जवानाराम वगैरा

दिनांक 14.10.2025

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र 2025/391 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी –प्रत्यर्थी सं0 1 से 3–जवानाराम वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील गुड़ामालानी स्थित मौजा रतनासर के ख0नं0 112 व 112/2 की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 18–केसाराम ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसके कब्जाकाश्त एवं खातेदारी मौजा रतनासर के ख0नं0 112 व 112/2 के पडौसी खातेदार–अप्रार्थीगण कार्यकाश्त में बाधा डालते है तथा प्रार्थी द्वारा इसके सीमाकंन हेतु तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कम में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 25.12.24 को सीमांकन किया गया, परंतु अप्रार्थीगण असंतुष्ट होकर उक्त पैमाईश को नही मान रहे है तथा उक्त आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सीमाकंन रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमावे। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध व मनमाना स्वीकार कर वादग्रस्त खसरान की पत्थरगढी हेतु एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया।

आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित नोटिस अपीलांट को प्राप्त नही होने से वह अपना जवाब प्रस्तुत नही कर सका। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 द्वारा गलत तथ्यों पर आधारित

14/10/25

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। मौके पर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की भूमि के बीच सार्वजनिक आम सड़क चलती है तथा उक्त सड़क के एकतरफ प्रार्थी–प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 द्वारा पक्के नेखम लगाकर तारबंदी की हुई है, जिसे सीमाकंन रिपोर्ट में अंकित नही किया गया है। अपीलाधीन आदेश सरसरी तौर पर पारित किया गया है, जो आरएलआर एक्ट की धारा 111, 128 की प्रावधानों की अवहेलना हुई है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी के खसरान की सीमाओं की वास्तविक स्थिति रेकर्ड पर प्राप्त नही हुई है। प्राथी–प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 नेखमबंदी की आड़ में अपीलांट के कब्जेकाश्त व तारबंदी की हुई भूमि, जिसमें ढाणी व टांके भी आते है, से बेदखल करना चाहते है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.6.25 के अनुसार अप्रार्थी को जारी रजिस्टर्ड नोटिस की ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश होने के उपरांत प्रकरण में 4 दिन पश्चात दिनांक 30.6.25 को सुनवाई नियत कर तहस एकतरफा सुनी जाकर दिनांक 3.7.25 को आदेश पारित कर दिया गया। इससे अपीलांट का यह कथन साबित है कि उसे सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। आदेशिका में तहसीलदार की रिपोर्ट का उल्लेख नही है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी (बाडमेर) द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 2025/391 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2025 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर फैसल शुमार की जावे। निर्णय आज **दिनांक 14.10.2025** को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

14/10/25.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर